

**समाहरणालय गोपालगंज**  
(जिला योजना कार्यालय)

**आदेश**

प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3392 दिनांक 10.11.2011 के आलोक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक 12.07.2013 को माननीय मंत्री-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में श्री सुनिल कुमार सिंह, मा0स0 वि0प0, गोपालगंज द्वारा अनुशासित योजनाओं का प्रखंडवार/नगर निकायवार अनुमोदित किया गया है। योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 03.05.13 द्वारा जले ट्रांसफार्मर बदलने एवं अधूरे विद्युत ग्रामों की विद्युतीकरण की योजना की निति निर्धारित की गयी है। प्राप्त मार्गदर्शिका में निहित निदेश के आलोक में तदनुसार कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, गोपालगंज के द्वारा ग्रामवार प्राक्कलन तैयार कर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है एवं पत्रांक 1360 दिनांक 29.11.13 के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, गोपालगंज द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आधार पर निम्नलिखित योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र0	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनाओं का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि
1	2	3	4	5
1	भोरे	ग्राम पंचायत भोरे के ग्राम भोरे में नवनिर्मित पंचायत भवन के पास 63 के0भी0ए का ट्रांसफार्मर।	636530.00	636530.00
		<b>कुल योग:-</b>	<b>636530.00</b>	<b>636530.00</b>

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :-स्वीकृत योजनाओं का कार्य कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, (बिहार स्टेट होल्डिंग पावर लि0.)गोपालगंज द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को निदेश दिया जाता है कि प्रशासनिक स्वीकृति की राशि को बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लि0 के नाम से बैंक ड्राफ्ट बनाकर उपलब्ध करावें तथा उसकी सूचना जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को भेजें।

कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल, गोपालगंज का यह दायित्व होगा कि उपावटित राशि के व्यय के पश्चात अभिश्रव कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, गोपालगंज को उपलब्ध कराते हुए उसकी सूचना जिला योजना कार्यालय, गोपालगंज को भी उपलब्ध करावें।

**कार्यान्वयन की शर्तें**

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व फोटो ग्रफ कराना होगा एवं कार्य पूर्ण होने के उपरांत भी फोटो ग्रफ करना होगा।
2. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।

कार्यान्वयन एजसा का होगा।

4. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित किया जाय।
5. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाय।
6. प्रत्येक माह की 25<sup>थी</sup> तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय,गोपालगंज को भेजा जाए।

जिला योजना पदाधिकारी,  
गोपालगंज।

ज्ञापांक...../ दिनांक...../

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता,स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से बिहार स्टेट पावर हॉल्टिंग कम्पनी लि० के खाता सं०-Deposit works accounts-ABA/C No-0352101042061 के नाम से राशि का बैंक ड्रापट बनाकर भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, विद्युत प्रमंडल,(बिहार स्टेट हॉल्टिंग पावर लि०),गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

00.0522A2	00.0522A2	00.0522A2	00.0522A2
00.0522A2	00.0522A2	00.0522A2	00.0522A2

जिला योजना पदाधिकारी,  
गोपालगंज।

ज्ञापांक 7080 / दिनांक 6-12-13 /

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आईटीमैनेजर,एन०आई०सी०,गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी,  
गोपालगंज।

7